तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 14/2025**	... व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
22–4–2025	पत्रावली पेश हुई। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी संख्या– 1 (विपेन्द्र सिंह डाबी पुत्र श्री बलवन्तसिंह, विक्रेता, मैसर्स Wildwinds Resorts, मिन तलेटी जाम्बुडी, आबूरोड़, जिला– सिरोही एवं प्रतिवादी संख्या–2 (मोलीकुमार बाबुलाल प्रजापत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स Wildwinds Resorts, मिन तलेटी जाम्बुडी, आबूरोड़, जिला– सिरोही) अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा दिनांक 25–8–2024 को मैसर्स Wildwinds Resorts, मिन तलेटी जाम्बुडी, आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विपेन्द्र सिंह डाबी पुत्र श्री बलवन्तसिंह से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (नवदीप ब्राण्ड) के 500–500 ग्राम के पैक्ड पैकेटों का नमूना संख्या S-2389, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1252/Act/2024/ 1276 दिनांक 10–9–2024 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर पंजीकृत डाक से तामिल करवाये गये। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की प्रतिवादीगण को पंजीकृत डाक से तामिल होने के बावजूद भी प्रतिवादीगण इस न्यायालय में नियत सुनवाई तिथि 09–4–2025 को उपस्थित नही हुए एवं न ही आज नियत सुनवाई तिथि 22–4–2025 को उपस्थित हुए। अतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव की बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादीगण ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (नवदीप ब्राण्ड) के 500–500 ग्राम के पैक्ड पैकेटों का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे। प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 25–8–2025 को समय 3–00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु मैसर्स Wildwinds Resorts, मिन ......लगातार	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 14/2025	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए
	तलेटी जाम्बुडी, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर प्रतिवादी विक्रेता विपेन्द्र सिंह डाबी पुत्र श्री बलवन्तसिंह, जाति– राजपूत, हाल निवासी–Wildwinds Resorts, मिन तलेटी जाम्बुडी, आबूरोड़, जिला– सिरोही उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा मैसर्स Wildwinds Resorts, मिन तलेटी जाम्बुडी, आबूरोड़, जिला– सिरोही के निरीक्षण करने पर रसाई भण्डार में मिर्च पाउडर (नवदीप ब्राण्ड) के 500–500 ग्राम के 15 पैक्ड पैकेट रखे हुए पाये। जो आम जन को खाद्य सामग्री निर्माण में उपयोग कर बिक्री हेतु रखे हुये थे। जिनमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना लेने की सूचना प्रतिवादी विक्रेता विपेन्द्र सिंह डाबी पुत्र श्री बलवन्तसिंह को गवाह श्री मनीषपाल सिंह, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में भरकर दी व प्रपत्र 5ए की दूसरी प्रति में रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा मैसर्स Wildwinds Resorts, मिन तलेटी जाम्बुडी, आबूरोड़, जिला– सिरोही के रसोई भण्डार में आम जन के खाद्य सामग्री बनाने के उपयोग हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (नवदीप ब्राण्ड) के 500–500 ग्राम के 15 पैक्ड पैकेटों में से खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (नवदीप ब्राण्ड) के 500–500 ग्राम के 4 पैक्ड पैकेटों को उक्त गवाह के समक्ष खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 720/– (अक्षरे रुपये सात सौ बीस मात्र) प्रतिवादी विक्रेता विपेन्द्र सिंह डाबी को नकद अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने प्रतिवादी विक्रेता विपेन्द्र सिंह डाबी एवं उक्त गवाह के समक्ष लेबल तैयार कर लेबल पर नमूना लेने की तारीख व नमूना लेने का स्थान, अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड व क्रमांक S-2389, खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (नवदीप ब्राण्ड) का विवरण अंकित करके प्रत्येक लेबल पर प्रतिवादी विक्रेता विपेन्द्र सिंह डाबी व गवाह के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव स्वयं ने हस्ताक्षर किये। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा मिर्च पाउडर (नवदीप ब्राण्ड) के 500–500 ग्राम के चारों पैक्ड पैकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (नवदीप ब्राण्ड) के चारों खरीदशुदा नमूना पैक्ड पैकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (नवदीप ब्राण्ड) के चारों नमूना पैकटों को अलग–अलग कागज में लपेट कर, दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया एवं उस पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त पेपरस्लिप कोड एवं क्रम संख्या S-2389 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। प्रत्येक नमूनें को मजबूत धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग ......लगातार	

न्यायालय प्रति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **F.S.S.Act Case No. 14/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	पर पेपरस्लिप क्रोस करते हुए प्रतिवादी विक्रेता विपेन्द्र सिंह डाबी व उक्त गवाह के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा हस्ताक्षर किये गये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे / जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की व जिस सील से नमूना सील चपडी किया था उसका मोनोंग्राम मौका रिपोर्ट पर अंकित कर मौका फर्द रिपोर्ट पढकर सुनाई गई। मौका फर्द रिपोर्ट न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता विपेन्द्र सिंह डाबी, उक्त गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर किये हुए है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने दिनांक 28–8–.2024 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री महेश परिहार, कार्मिक, कार्यलय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 25–8–2024 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा मैसर्स Wildwinds Resorts, मिन तलेटी जाम्बुडी, आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता विपेन्द्र सिंह डाबी से खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (नवदीप ब्राण्ड) के 500–500 ग्राम के पैक्ड पैकेटों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (नवदीप ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-2389 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1252/ Act/2024/1276 दिनांक 10–9–2024 के अनुसार खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (नवदीप ब्राण्ड) के 500–500 ग्राम के पैक्ड पैकेटों का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी विक्रेता विपेन्द्र सिंह डाबी द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (नवदीप ब्राण्ड) के 500–500 ग्राम के पैक्ड पैकेटों के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मैसर्स Wildwinds Resorts, मिन तलेटी जाम्बुडी, आबूरोड़, जिला– सिरोही ......लगातार	

......लगातार

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट ★ सिरोही (राज०) ★

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 14/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	के प्रोपराईटर मोलीकुमार बाबुलाल प्रजापत (प्रतिवादी संख्या–2) है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी मोलीकुमार बाबुलाल प्रजापत की प्रोपराईटरी फर्म मैसर्स Wildwinds Resorts, मिन तलेटी जाम्बुडी, आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता विपेन्द्र सिंह डाबी द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (नवदीप ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। **आदेश** अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (नवदीप ब्राण्ड) (नमूना संख्या S-2389) के विक्रय हेतु प्रतिवादी मोलीकुमार बाबुलाल प्रजापत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स Wildwinds Resorts, मिन तलेटी जाम्बुडी, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 50,000/– (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी मोलीकुमार बाबुलाल प्रजापत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स Wildwinds Resorts, मिन तलेटी जाम्बुडी, आबूरोड़, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 30–5–2025 को पेश हो। **(डॉ. दिनेश राय सापेला)** अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001.	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)